विद्यालयी शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका का अध्ययन

गणेश शुक्ल*

यह शोध पत्र 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में पंचायती राज के अंतर्गत गठित ग्रामीण स्तर पर पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति की शिक्षा में भूमिका पर केंद्रित शोध अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के दो ब्लॉक तथा दोनों ब्लॉकों से परस्पर 3–3 ग्राम शिक्षा समितियों का सरल यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया। आँकड़ों के संकलन के लिए स्व-निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त उत्तरों को एकसमान विषयवस्तु (थीम) में वर्गीकृत किया गया एवं कोडिंग प्रक्रिया (कोडिंग प्रोसेस) द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण किया गया तथा आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालयी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, भौतिक संसाधन, विद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण, स्वच्छ वातावरण, विद्यालय में नामांकन वृद्धि करने तथा अन्य गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु योगदान दे रही हैं।

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था से दृष्टिगोचर होता है। पंचायती राज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा वैदिक काल से भी पूर्व की है। मौर्य काल तक पंचायतों के कार्य क्षेत्र विस्तृत हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ग्रामीण लोग पंचायतों में रुचि लिया करते थे। तात्कालिक राजनीति के ज्ञाता चाणक्य ग्राम को राजनीति की इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। वस्तुतः इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में पंचायती राज, मौर्यकालीन शासन में पंचायती राज, गुप्तकालीन शासन में पंचायती राज, दक्षिणी चोल साम्राज्य में पंचायती राज एवं मुगल काल में पंचायती राज के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। फाहयान लिखता है, "ग्रामों का संगठन आर्थिक तथा रक्षात्मक स्वावलंबन के विचारों पर आधारित होता है यह ग्राम राज्य का प्रतिफल है। वे लोग स्वेच्छा से बंधुता के नियमों का पालन करते हैं और बड़े शांतिप्रिय तथा उन्नतिशील हैं।" पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए सर हरबर्ट रिजले ने लिखा है, "लोग एक प्रश्न को लेकर बुद्धिमानी से उस पर सोचते विचार-विनिमय करते और उससे संबंधित बातों पर सर्वांगरूपेण टीका-टिप्पणी करने के उपरांत किसी एक निश्चियात्मक निर्णय पर पहुँचते थे।

* *शोधार्थी*, शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा संस्थान, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, पूर्व चम्पारन, बिहार 845401

वहाँ बहुमत का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता क्योंकि वे सब एकमत होते हैं।"

महात्मा गाँधी का स्वराज एवं पंचायती राज

मेरे सपनों का भारत में महात्मा गाँधी कहते हैं कि ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना एक ऐसे प्रजातंत्र से है जो अपनी अहम ज़रूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा, उन ज़रूरतों की पूर्ति जिसमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य हो, परस्पर सहयोग से काम लेगा। हर एक गाँव में गाँव की अपनी एक नाट्यशाला, पाठशाला और सभा भवन रहेगा। बुनियादी तालीम की आखिरी व्यक्ति तक पहुँच तथा सबके लिए शिक्षा अनिवार्य होगी और जहाँ तक संभव होगा गाँव के संपूर्ण काम सहयोग के आधार पर किए जाएँगे। जिसका एक सामाजिक निहितार्थ यह भी होगा कि समाज में जो जात-पात और क्रमागत अस्पृश्यता विद्यमान है, उसे खत्म किया जा सकता है। सत्याग्रह और असहयोग के शास्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। महात्मा गाँधी यह मानते थे कि आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए, जिसमें मुख्य कड़ी के रूप में पंचायत राज को मानते थे। हर गाँव की अपनी-अपनी सत्ता एवं ताकत हो, जिसके द्वारा गाँव अपनी ज़रूरतों को पूरा करके अपने पैरों पर खड़ा होगा। वह अपने दुश्मनों से रक्षा स्वयं करेगा, वह अपने आप को इस प्रकार विकसित करेगा कि आने वाली हर समस्या का सामना कर सके। इसके द्वारा गाँधी की कल्पना यही थी कि सब लोग आज़ाद हों और एक-दूसरे पर अपना असर डाल सकें। गाँधीजी का इसमें पूर्ण विश्वास था कि जब हिंदुस्तान के हर एक गाँव में पंचायत राज कायम होगा, तब अपनी इस तसवीर की सच्चाई साबित कर सकूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे अथवा न कोई आखिरी और न पहला होगा अर्थात यह कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी का ग्राम स्वराज, पंचायती राज के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विकास हेतु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायती राज की स्थापना का प्रयास वास्तविक रूपों में सजीव एवं साकार प्रयास था। 2 सितंबर, 1959 को राजस्थान विधानमंडल द्वारा सर्वप्रथम पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया तथा इसे 2 अक्तूबर 1959 को लागू किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया।

भारत के संविधान में भी राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज की अवधारणा को विशेष स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें ऐसी स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगा। इसी अनुच्छेद की मूल भावना के अनुरूप पंचायती राज की संस्थाएँ सामने आईं।

भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के ढाँचे में सुधार लाने हेतु अनेक समितियों का गठन किया, जिनमें प्रमुख हैं—

बलवंत राय मेहता समिति (1957)

इस समिति का गठन सन् 1957 में किया गया था। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं को रखा था, जिसमें—

- पंचायती राज्य का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए यथा ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद हो।
- पंचायतें पूर्ण रूप से निर्वाचित इकाइयाँ होनी चाहिए।
- इन पंचायतों में महिलाओं के दो तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के एक-एक प्रतिनिधि होने चाहिए।

अशोक मेहता समिति (1977)

इस समिति का गठन अशोक मेहता की अध्यक्षता में सन् 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति के प्रमुख महत्वपूर्ण सुझाव निम्न थे—

- पंचायती राज का ढाँचा त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय होना चाहिए।
- पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

संविधान के 64वें संशोधन अधिनियम (1990) के अनुसार

- पंचायती राज संस्थानों का ढाँचा त्रिस्तरीय होगा— ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर।
- पंचायतों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।
- पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम (1993) के अनुसार

इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न हैं—

- त्रिस्तरीय ढाँचा
- महिला आरक्षण (30 प्रतिशत)
- निश्चित कार्यकाल
- पंचायती राज का विस्तृत कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थान

तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 में पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तरों की पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) में एकरूपता की गई। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015–16 में संपन्न हुए।

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए छह समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं—

- नियोजन एवं विकास समिति
- शिक्षा समिति
- निर्माण कार्य समिति
- स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
- प्रशासनिक समिति
- जल प्रबंधन समिति

ग्राम पंचायत का प्रधान	अध्यक्ष
ग्राम पंचायत का उप प्रधान	सदस्य
ग्राम पंचायत की एक निर्वाचित महिला सदस्य	सदस्य
ग्राम पंचायत का एक अनुसूचित जाति का सदस्य	सदस्य
ग्राम पंचायत का एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य, यदि कोई हो	सदस्य
महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से भिन्न ग्राम पंचायत का एक सदस्य	सदस्य
बेसिक स्कूलों के तीन संरक्षक जो प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएँगे	सदस्य
उस ग्राम सभा में बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और एक से अधिक ऐसे स्कूल होंगे तो उनमें से श्रेष्ठतम प्रधान अध्यापक	सचिव
ग्राम पंचायत के कार्यरत नेहरू/महिला मंगल दल, महिला सदस्य आदि स्वयं सेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जो प्रधान द्वारा नामित किया जाएगा।	

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम शिक्षा समिति गठित की जाती है। यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा (11) (1) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रकार गठित की जाती है।

ग्राम शिक्षा समिति के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य

- ग्राम शिक्षा समिति, खंड बेसिक शिक्षा समिति तथा जिला शिक्षा समिति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगी।
- बेसिक स्कूलों को आवश्यक सुविधाएँ व उपस्कर उपलब्ध कराने में सहायता देना।
- बेसिक स्कूलों के भीतर या बाहर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने में ऐसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों और कर्मचारियों को सहायता देना।
- बेसिक स्कूलों के समुचित संचालन में सहायता प्रदान करना, अध्यापकों पर सम्यक नियंत्रण रखना और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मासिक रिपोर्ट देना।
- बेसिक स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति का मासिक अनुश्रवण करना और यदि किसी ऐसे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाए, तो उसमें सुधार के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति को उपाय सुझाना।
- नए बेसिक स्कूल स्थापित करना तथा उनका भवन निर्माण/ मरम्मत करना।
- भवनहीन प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु तैयार की गई कार्य योजना के तहत भवनों के निर्माण कार्य की समीक्षा तथा अनुश्रवण करना।
- विद्यालय संपत्ति का रख-रखाव करना।
- संबंधित बेसिक विद्यालयों में लगे हैंडपंप तथा शौचालयों के रख-रखाव की व्यवस्था करना।
- प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत तथा मरम्मत की आवश्यकता का आकलन कर मरम्मत आदि करवाना।
- स्कूल मैपिंग व माइक्रो प्लानिंग अभ्यास के आधार पर ग्राम के लिए शिक्षा योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना।

- समिति के सदस्य सचिव बैठकों के कार्यवृत्त पंचायत समिति/जिला शिक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करना।

शोध का औचित्य

यह शोध कार्य संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गठित की गई ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित है। वर्तमान में ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित शोध कार्य बहुत सीमित हुए हैं। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, जिसे विद्यालयी शिक्षा के संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अतः यह ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोग विद्यालयी शिक्षा के विकास में कितना योगदान दे रहे हैं? जिस मूल भावना और उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? इन्हीं प्रश्नों को आधार बनाते हुए शोधार्थी द्वारा यह शोध अध्ययन किया गया।

शोध उद्देश्य

1. ग्राम शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
2. ग्राम शिक्षा समिति के बाधक तत्वों का अध्ययन करना।
3. शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध का परिसीमन

इस शोध कार्य में शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में गठित शिक्षा समितियों का शोध अध्ययन हेतु चयन किया था।

शोध विधि

इस शोध कार्य में शोधार्थी ने वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया था।

न्यादर्श

सरल यादृच्छिक विधि द्वारा प्रयागराज जनपद में 20 ब्लॉकों में से क्रमशः दो ब्लॉक (सैदाबाद एवं धनुपुर) का चयन किया गया था, इन दोनों ब्लॉकों से परस्पर क्रमशः 3–3 ग्राम शिक्षा समिति (मडुवाडीह, गढ़वा; रसूलमवैया, कुकुढ़ा तथा कुनौरा, खिजिरिहा) का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी ने शोध के आँकड़े एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया था।

आँकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं निर्वचन

आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए शोधार्थी ने ग्राम शिक्षा समिति के हितधारकों, अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यों से साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से फरवरी, 2019 में आँकड़े एकत्रित किए थे। साक्षात्कार अनुसूची में कुल 47 प्रश्न थे, जो ग्राम शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली की एक रूपरेखा पर आधारित थे। शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची द्वारा समिति के सभी हितधारकों से उत्तर प्राप्त करने के पश्चात एकसमान विषयवस्तु के अलग-अलग उत्तरों को वर्गीकृत कर कोडिंग प्रक्रिया द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए उत्तरों में से एकसमान उत्तरों (कॉमन रिस्पोंस) को पृथक किया गया तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया।

1. ***उद्देश्य— ग्राम शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली का अध्ययन करना***

शोधार्थी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के हितधारकों से प्राप्त एकसमान उत्तरों के आधार पर शिक्षा समिति के वर्तमान स्वरूप, संरचना तथा कार्यप्रणाली के लिए श्रेणियाँ निर्मित की गई थीं। जिसका श्रेणीवार विश्लेषण इस प्रकार है—

- *ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना है*

इस श्रेणी के अंतर्गत समिति के सभी हितधारक विद्यालयी शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा समिति के तीन अध्यक्षों ने कहा कि, "विद्यालय में सभी शैक्षिक क्रियाओं की देख-रेख करना, विद्यालय में कक्षा का संचालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, अध्यापक समय से विद्यालय आ रहे हैं या नहीं, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है या नहीं तथा विद्यालयी संचालन में समस्याओं को दूर करना हमारा काम है। इसके अलावा हमें साफ़-सफ़ाई की व्यवस्था का भी ध्यान रखना होता है तथा सफ़ाईकर्मी की व्यवस्था करनी पड़ती है।" दो अध्यक्षों ने कहा कि 'हम विद्यालय के शैक्षिक क्रियान्वयन में सहभागिता करते हैं।' हम सभी का प्रयास होता है कि कैसे अच्छे तरीके से विद्यालय का संचालन हो और हमारा विद्यालय एक मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित हो। हम सब सभी शैक्षिक क्रियाओं में सहभागिता करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि विद्यालय का हर कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो। क्योंकि विद्यालय में हमारे घर, परिवार, समाज के विद्यार्थी पढ़ते हैं, वे कल का भविष्य हैं।' इसलिए हम सभी की भावना होती है कि विद्यालय अच्छे तरीके से संचालित हों।' एक अध्यक्ष के अनुसार, हमारी सेवा विद्यालय के कार्य में हर संभव मदद करना; विद्यालय की उन्नति, विकास एवं संचालन में मदद करना विद्यालय भवन निर्माण, साफ़-सफ़ाई, शौचालय, चहारदीवारी आदि का निर्माण करना। ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों ने शिक्षा समिति के कार्य के रूप में शैक्षिक योजनाओं को लागू करना प्रमुख उद्देश्य बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समिति के अध्यक्ष भी हम सभी को योगदान देते हैं। हम सब लोकतांत्रिक पहल से महत्वपूर्ण कार्यों का निदान करते हैं। यह बात अलग है कि छह सचिवों में से तीन सचिवों को ग्राम शिक्षा समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी अर्थात ग्रामीण शिक्षा समिति के ज़िम्मेदार पदाधिकारी के रूप में सचिवों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। साक्षात्कार से प्राप्त आँकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी शिक्षा समिति के अध्यक्ष अपने अधिकारों की सीमा में शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अवलोकन कर रहे हैं परंतु शिक्षा समिति के सचिवों के दायित्वों के निर्वहन में कमी पाई गई।

- *सरकारी विद्यालयों का मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य*

इस श्रेणी के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष के अनुसार, 'प्राथमिक विद्यालय

कुंदेरामपुर, विकास क्षेत्र अमौली, जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर विद्यालय का निर्माण करना।' समिति के अध्यक्षों द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है कि वे सब अपने ग्राम सभा के सरकारी विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों की तरह साधन संपन्न एवं समृद्ध कर रहे हैं, जिससे सामाजिक भ्रम टूटे कि सरकारी विद्यालयों में भौतिक संसाधन का अभाव है और माता-पिता अपने पाल्यों को सरकारी विद्यालय भेजें अर्थात सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को वही सुविधाएँ मिलें, जो पब्लिक स्कूलों में मिलती हैं। ताकि सरकारी विद्यालय परिसर विद्यार्थियों को आकर्षित करें और उनका विद्यालय परिसर में ठहराव बना रहे।

- *लोकतांत्रिक आधार पर सदस्यों का चुनाव तथा सभी वर्गों एवं महिलाओं की समिति में सुनिश्चितता*

  ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा समिति का गठन ग्राम प्रधान ही करता है। शोधार्थी द्वारा पाया गया कि सर्वसम्मति के आधार पर, संवैधानिक तरीके से, खुली बैठक में, ग्राम शिक्षा तथा समिति का गठन नियमानुसार किया जाता है। ग्राम सभा के तीन अध्यक्षों के अनुसार 'ग्राम शिक्षा समिति में एक पिछड़ी जाति, एक अनुसूचित जाति तथा दो महिलाएँ शामिल हैं। ग्राम शिक्षा समिति के दो अध्यक्षों के अनुसार 'दो पिछड़ी जाति, एक अनुसूचित जाति तथा एक महिला सदस्य है।' एक ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष के अनुसार 'समिति के सारे सदस्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के हैं।' इस प्रकार पाया गया कि समिति का गठन जातीय प्रतिनिधित्व नियम के अनुसार है, जिससे शिक्षा के विकास में हर वर्ग अपना योगदान दे सके।

- *अनियमित बैठकें एवं सदस्यों की अनुपस्थिति*

  शोध अध्ययन में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति के तीन अध्यक्षों के अनुसार, 'बैठक प्रत्येक तीन माह में होती है।' एक अध्यक्ष के अनुसार, 'बैठक प्रत्येक महीने होती है' एवं दो अध्यक्षों के अनुसार 'बैठक प्रत्येक छह महीने में होती है।' ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों के अनुसार, 'बैठक प्रत्येक तीन माह में होती है' एवं तीन सचिवों के अनुसार, 'बैठक के बारे में कोई जानकारी नही है।' इस प्रकार समिति के आठ सदस्यों के अनुसार, 'प्रत्येक बैठक तीन महीने में होती है।' जबकि दो सदस्यों के अनुसार, 'बैठक वर्ष में एक बार होती है।' साथ ही, शोध अध्ययन के दौरान उन सदस्यों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि समिति के सदस्य बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं लेते हैं। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि समिति की बैठकें अनियमित होती हैं और जब बैठकें होती भी हैं तो कुछ सदस्यों को कोई जानकारी नहीं होती है, इसके अलावा कुछ सदस्य बैठकों में सहभागिता भी नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्षों एवं सचिवों तथा सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी में एकरूपता भी नहीं है

- *विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता*

  इस श्रेणी के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सभी अध्यक्षों के अनुसार बाउंड्री वॉल, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने के लिए स्वच्छ पानी, सभी विद्यालयों में हैंडपंप, समरसिबल पंप एवं कुछ विद्यालय में आर.ओ. (R.O.) प्रस्तावित है। शौचालयों में हैंडवॉश, डस्टबिन, टाइल्स, विद्यालय भवन की मरम्मत, नए विद्यालय भवन का निर्माण, परिसर की साफ़-सफ़ाई, वॉल पेंटिंग, पानी की टंकी, डेस्क, बेंच, वृक्षारोपण, इंटरलॉकिंग, विद्यालय गेट, रैंप आदि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति ने की है।' ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों के अनुसार, 'विद्यालय में बिजली, डेस्क, बेंच, वृक्षारोपण, शौचालय परिसर की साफ़-सफ़ाई आदि की व्यवस्था है। ग्राम शिक्षा समिति के आठ सदस्यों के अनुसार 'विद्यालय परिसर में सारी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे—शौचालय हैंडपंप, बाउंड्री वॉल, डेस्क, बेंच आदि।' शोध अध्ययन के दौरान भौतिक अवलोकन करने पर पाया गया कि इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है।

- *विद्यालय में अध्यापक उपस्थिति एवं मिड-डे मील का समय-समय पर औचक निरीक्षण*

  शोधार्थी ने विद्यालय में उपस्थिति एवं मिड-डे मील के बारे में जानकारी प्राप्त की तो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों ने बताया कि वे उपस्थिति तथा मिड-डे मील के संदर्भ में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को उनके दायित्वों के प्रति सजग करते हैं तथा समय-समय पर विद्यालय का औचक निरीक्षण भी करते हैं।' तीन अध्यक्षों के अनुसार, 'अध्यापक की उपस्थिति तथा मिड-डे मील के संदर्भ में औचक निरीक्षण करते हैं तथा बिना सूचना के अध्यापक के अनुपस्थित होने पर तथा गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील न होने की दशा में सक्षम अधिकारी को शिकायत करते हैं, जिससे कर्मचारियों एवं अध्यापकों में भय बना रहता है इसलिए वे भ्रष्टाचार नहीं करते हैं।' ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों के अनुसार 'मिड-डे मील में गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाया जाता है एवं पूर्व निर्धारित मेनू के अनुसार ही भोजन बनता है।' ग्राम शिक्षा समिति के पाँच सदस्यों के अनुसार, 'हम भी कभी-कभी विद्यालय चले जाते हैं, प्रधान जी प्रतिदिन जाते हैं।' अन्य सदस्यों ने औचक निरीक्षण की बात को नहीं स्वीकार किया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि विद्यालय में अध्यापक की उपस्थिति तथा मिड-डे मील की गुणवत्ता के लिए औचक निरीक्षण किया जाता है।

- *विभिन्न विद्यालयी विकास कार्यक्रमों का आयोजन*

  शोध अध्ययन में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति विभिन्न विद्यालयी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार समिति विद्यार्थियों के ड्रॉप-आउट को रोकने एवं नामांकन वृद्धि के संदर्भ में

दलित बस्तियों में डोर-टू-डोर कैम्पेन करती है, अविभावक कैम्पेन चलाती है, समय-समय पर जागरूकता रैली निकालकर ग्राम सभा लोगों को जागरूक करती है। साथ ही, ग्राम सभा विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। ग्राम शिक्षा समिति के अधिकांश सदस्यों ने इस तरह के क्रियाकलापों की सहमति दी। ग्राम शिक्षा समिति के तीन सदस्यों के अनुसार, 'विद्यालयी विकास के रूप में नामांकन रैली, जनसंपर्क कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक वितरण आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने में सतत योगदान देती है।

- *योजनाबद्ध कार्यप्रणाली परंतु यथार्थता का अभाव*

  इस श्रेणी के अंतर्गत पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति की योजनाबद्ध कार्यप्रणाली है। समिति के हितधारकों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला स्तर एवं पंचायत स्तर की शिक्षा समितियों में कोई तालमेल नहीं है, योजनाओं के क्रियान्वयन का काम ग्राम शिक्षा समिति करती है परंतु देख-रेख पंचायत समिति करती है। आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बहुत जानकारी नहीं होती है, क्योंकि समिति के अध्यक्ष इन सदस्यों के साथ सभी जानकारी साझा नहीं करते हैं। इस कारणवश सदस्यों की भागीदारी न के बराबर होती है। जबकि अध्यक्ष अपने एकाधिकार में सारे काम करता है। कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली योजनाबद्ध है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सभी सदस्यों एवं सचिवों की सहभागिता का अभाव है।

2. *उद्देश्य— ग्राम शिक्षा समिति के बाधक तत्वों का अध्ययन करना*

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता तथा सक्रियता का अभाव

  इस श्रेणी के अंतर्गत पाया गया कि समिति के सदस्यों में जागरूकता तथा सक्रियता का अभाव है। इस संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के तीन अध्यक्षों के अनुसार, 'बैठकों में महिला सदस्य भाग नहीं लेती हैं एवं उनका योगदान सकारात्मक नहीं होता है। एक अध्यक्ष के अनुसार, 'सदस्यों को सूचना दी जाती है, परंतु वे सब बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के तीन सचिवों ने कहा कि, 'सदस्यों को जागरूक और प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी सक्रिय भागीदारी हो एवं कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाया जा सके। परंतु ग्राम शिक्षा समिति के अन्य तीन सचिवों ने कहा कि 'ग्राम शिक्षा समिति के बारे में जानते ही नहीं हैं।' ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार, 'सभी सदस्य बैठक में भाग नहीं लेते हैं'। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सभी हितधारक मुख्यतः सचिवों एवं सदस्यों को समिति के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है और जो समिति की बैठकों में भाग लेते हैं, उनमें भी जागरूकता की कमी है।

- *समिति के सदस्यों के बीच वैचारिक टकराव*
  इस श्रेणी के अंतर्गत शोधार्थी ने पाया कि समिति के सदस्यों के बीच आपसी टकराव होता है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने यह माना कि सदस्यों के आपसी वैचारिक टकराव होने के कारण काम करना कठिन हो जाता है तथा उनके द्वारा यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि हमें कम महत्व दिया जाता है। दो अध्यक्षों ने यह माना कि 'सदस्य की अपनी व्यक्तिगत असहमति होने के कारण समिति के काम में व्यवधान डालकर वे अपने आप को संतुष्ट पाते हैं।' शिक्षा सचिव कहते हैं कि किसी भी मुद्दे पर विरोधाभास होने पर निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है। समिति के एक सदस्य के अनुसार, 'अध्यक्ष एवं सचिव का तालमेल बढ़िया है, सदस्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।' एक सदस्य के अनुसार, 'अध्यक्ष तथा सदस्यों के बीच आपसी विरोधाभास होता है।' इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर वैचारिक टकराव होता है।
- *सरकारी फंड की समस्या*
  ग्राम शिक्षा समिति के हितधारकों ने बताया कि सरकारी फंड भी एक समस्या है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार, 'सरकारी फंड में अनियमितता पाई जाती है और फंड समय पर नहीं आता है तथा विद्यालय की आवंटित राशि का भुगतान करने पर अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है।' एक अध्यक्ष के अनुसार, 'फंड आने में कभी-कभी साल भर लग जाता है।' समिति के एक सचिव के अनुसार, 'वर्क लोड के साथ-साथ अध्यक्ष जी फंड पास नहीं करवा पाते हैं, जिससे कार्य करने में समय लग जाता है।' अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सरकारी फंड के कारण कार्य करने में कठिनाई होती है।
- *समन्वय का अभाव*
  शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण से पाया गया कि समितियों में समन्वय का अभाव है। वस्तुतः ग्राम शिक्षा समिति पंचायती राज संस्थान की अंतिम कड़ी है, इसके ऊपर क्रमशः पंचायत शिक्षा समिति, जिला शिक्षा समिति होती है। अतः विद्यालयों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि ये तीनों समितियाँ समन्वय के साथ कार्य करें तो उनका परिणाम अच्छा होगा। शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्षों से पूछा कि पंचायत तथा जिला शिक्षा समिति किस प्रकार योगदान देती है? तो दो अध्यक्षों ने बताया कि 'कोई सहयोग नहीं देते हैं' तथा एक अध्यक्ष ने यह माना कि 'सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है।' इसी संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के सचिवों ने माना कि 'अन्य स्तर की समितियों से कोई सहयोग नहीं मिलता है।' ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने माना कि 'इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।' अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पंचायती राज की तीनों शिक्षा समितियों में समन्वय का अभाव है।

3. *उद्देश्य— शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन करना*

- *नए बेसिक स्कूल की स्थापना एवं स्थान चयन में योगदान*

  शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण से पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति नए बेसिक स्कूलों की स्थापना करने में तथा स्थान चयन करने में योगदान देती है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार विद्यालय परिसर में मिट्टी का कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा विद्यालय परिसर को आकर्षक बनाया जा सके ताकि विद्यार्थी परिसर से आकर्षित हो सकें। समिति पुराने भवनों की मरम्मत कराने में भी योगदान करती है और जो भवन मरम्मत के योग्य नहीं हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है।

- *ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का नियंत्रण*

  आँकड़ों के विश्लेषण तथा अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति बेसिक स्कूलों का नियंत्रण करती है। शोधार्थी ने पाया कि समिति के सदस्य अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, मिड-डे मील योजना के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी को एक निश्चित कैलोरी तथा प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन की निगरानी, विद्यालय परिसर में साफ़-सफ़ाई के लिए औचक निरीक्षण करते हैं। साथ ही, मिड-डे मील में भोजन पूर्व निर्धारित मेनू के अनुसार बनता है या नहीं, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के लोग कभी-कभी विद्यालय जाते हैं और निरीक्षण करते हैं।

- *विद्यालय के विकास कार्यक्रमों में योगदान*

  आँकड़ों के विश्लेषण से शोध में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति का मुख्य कार्य विद्यालय के विकास में योगदान करना है। इसकी मूल भावना यह है कि सरकारी बेसिक स्कूलों को भी पब्लिक स्कूल की तर्ज़ पर विकसित किया जाए। समिति के अध्यक्षों ने बताया है कि वे सभी अपने विद्यालयों को मॉडल विद्यालय की तर्ज़ पर विकसित करना चाह रहे हैं। मॉडल स्कूल बनाने के संदर्भ में वॉल पेंटिंग, चारों तरफ चहारदीवारी, प्रवेश उत्सव मनाना, अंक पत्र वितरण महोत्सव आदि का आयोजन किया जा रहा है। समिति विद्यार्थियों को वही सुविधा देने का प्रयास कर रही है जो सुविधाएँ पब्लिक स्कूल में मिलती हैं। समिति द्वारा शत-प्रतिशत नामांकन हेतु तथा ड्रॉप आउट रोकने हेतु डोर-टू-डोर कैम्पेन, अभिभावक संपर्क कार्यक्रम, जागरूकता रैली तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। जहाँ विद्यार्थियों के माता-पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाता है एवं उनके पाल्यों को विद्यालय परिसर भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। अभिभावकों को आश्वस्त किया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में भी वही सुविधाएँ एवं पठन-पाठन किया जाता है, जैसे पब्लिक विद्यालयों में किया जाता है। साथ ही, यह भी बताया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो आपके पाल्यों को अच्छी शिक्षा देंगे, उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से मिलकर प्रेरित करना जो ड्रॉपआउट हुए हैं, उन्हें पुन: विद्यालय

भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य है।

- *विद्यालय के भौतिक संसाधन, स्वच्छ पानी तथा शौचालय की व्यवस्था में योगदान*

  शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समिति की मुख्य भूमिका ग्राम में उपस्थित सरकारी विद्यालय में भौतिक संसाधनों, स्वच्छ पानी एवं शौचालय के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देना है। समिति की प्राथमिकता में विद्यालय की चहारदीवारी, खरंजा, विद्यालय गेट, परिसर में मिट्टी का कार्य, भवन मरम्मत, वृक्षारोपण द्वारा परिसर को हरा-भरा करना, विद्यालय में टाइल्स लगाना आदि का निर्माण करना है। शोध अध्ययन के दौरान अवलोकन किए गए सभी विद्यालयों में पाया गया कि वहाँ पर डेस्क-बेंच की व्यवस्था हो गई है। साथ ही, साफ़-सफ़ाई के लिए कर्मचारी आदि की व्यवस्था भी है। न्यादर्श में चयनित ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों के अनुसार पिछले दो सालों में स्कूल बाउंड्री, स्कूल गेट, दरवाज़ा, खरंजा, इंटर लॉकिंग, वृक्षारोपण, मिट्टी का कार्य, वाई-फाई, सी.सी.टी.वी. कैमरे, स्कूल में झूले आदि की व्यवस्था की गई है। सभी विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था के साथ-साथ समर सिबल पम्प की व्यवस्था है। शोधार्थी ने यह भी पाया कि कुछ विद्यालयों में वाटर प्यूरिफायर (आर.ओ.) लगाना प्रस्तावित है। उन समितियों ने विद्यालयों में महिला तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था की है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी विकास में अहम योगदान दे रही है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में शोध में पाया गया कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन नियम के तहत किया गया है एवं समिति के सदस्यों का चयन भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय में विकास कार्य किए गए हैं। इस शोध में समिति के बाधक तत्वों के रूप में पाया गया कि सदस्यों में जागरूकता का अभाव है। यह आवश्यक है कि समिति के सदस्यों को जागरूक करने तथा उनके दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। समिति के दूसरे बाधक तत्व के रूप में समिति के सदस्यों का वैचारिक टकराव एक प्रमुख कारण है, जो समिति की कार्यप्रणाली तथा उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। गीता और संजय (2016) के अनुसार समिति में जातिवाद, समूहवाद, गुटबाजी तथा आरोप-प्रत्यारोप विद्यालयों के विकास में बाधक है। इस शोध पर आधारित अवलोकन में पाया गया कि सभी विद्यालयों में समिति द्वारा बाउंड्रीवॉल, लड़के-लड़कियों के लिए शौचालय, स्वच्छ पीने के लिए पानी, सभी विद्यालयों में हैंडवॉश, समर सिबल पम्प, डस्टबिन, टाइल्स, विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में साफ़-सफ़ाई, वॉल पेंटिंग, पानी की टंकी, डेस्क-बेंच, वृक्षारोपण, इंटरलॉकिंग, विद्यालय गेट, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप आदि की व्यवस्था कर रही है। पिछले कुछ सालों से ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। साथ ही, समिति शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा सुगम बनाने की दिशा में कार्य कर

रही है। अंतत: इस शोध अध्ययन में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि विद्यालयी शिक्षा के विकास में ग्राम शिक्षा समितियाँ अहम योगदान दे रही हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

यह शोध कार्य ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित है। ग्राम शिक्षा समिति में सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। यह शिक्षा समिति संविधान में दिए गए अधिकारों एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करे तो शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव हो सकते हैं। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने पर भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है तथा निर्धारित कार्य समय पर किया जा सकता है। परंतु संकट यह है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सक्रिय सहभागिता नहीं होती है। इन समितियों के क्रियान्वयन से नागरिकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है तथा नागरिक यह समझने लगते हैं कि कर्तव्यों की पूर्ति से अधिकार जीवित रह सकते हैं। इस अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान समय में ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयी शिक्षा के विकास में अहम योगदान दे रही है। क्योंकि राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन शिक्षा ही है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान ने स्थानीय समुदाय को ज़िम्मेदारी सौंपी है। इस आधार पर देश के शैक्षिक उत्थान में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है।

ग्राम शिक्षा समिति को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता की कमी है, अतः सदस्यों को जागरूक करना चाहिए।
- ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यों में वैचारिक टकराव को दूर करना चाहिए।
- सभी सदस्यों को बैठकों में नियमित रूप से सहभागिता करनी चाहिए।
- बैठकों की पूर्व सूचना सभी सदस्यों को देनी चाहिए।
- महिला सदस्यों को भी बैठकों में नियमित रूप से जाना चाहिए तथा अपने विचार रखने चाहिए।
- अधिकांश महिला सदस्यों के निर्णय उनके घर के पुरुष लेते हैं जबकि महिला सदस्यों को स्वयं निर्णय लेना चाहिए।
- समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, अत: अधिकांश निर्णय वह स्वयं ले लेते हैं जबकि निर्णय लोकतांत्रिक रूप से सदस्यों की सहमति से होना चाहिए।

संदर्भ

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972.

गीता और संजय. 2016. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. आई.एस.आर.ओ. *जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस*. वॉल्यूम 21, इश्यू 3, पृष्ठ संख्या 63–70. http://www.questjournals.org/jraas/papers/vol2-issue3/B230914.pdf

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947.